



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 769]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 2016/ कार्तिक 11, 1938

No. 769]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2016/KARTIKA 11, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2016

सा.का.नि.1035(अ).-- केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (पांचवा संशोधन) स्कीम, 2016 है।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में, पैरा 83 के उपपैरा (2) के खंड (जक) के, उपखंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु कोई कर्मकार, जो शांति और मित्रता की वर्ष 1950 की संधि के कारण नेपाली राष्ट्रिक है और कोई कर्मकार, जो शांति और मित्रता की वर्ष 2007 की संधि के कारण भूटानी राष्ट्रिक है, को भारतीय कर्मकार समझा जाएगा।"

[फा.सं. एस-35011/1/2011-एसएस-II]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. का.नि.आ.1509, तारीख 2 सितंबर, 1952 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 580 (अ), तारीख 7 जून, 2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2016

G.S.R.1035(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely :-

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Fifth Amendment) Scheme, 2016.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, in paragraph 83, in sub-paragraph (2), in clause (ja), after sub-clause (b), the following proviso shall be inserted, namely :-

“Provided that the worker who is a Nepalese national on account of Treaty of Peace and Friendship of 1950 and the worker who is a Bhutanese national on account of India-Bhutan Friendship Treaty of 2007, shall be deemed to be an Indian worker.”

[F. No. S-35011/1/2011-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

Note : The Employees' Provident Funds Scheme, 1952 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number S.R.O. 1509, dated the 2nd September, 1952 and was lastly amended vide notification number G.S.R. 580(E) dated the 07th June, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2016

सा.का.नि.1036(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी पेंशन (छठा संशोधन) स्कीम, 2016 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 में, पैरा 43क के उपपैरा (1) में, खंड (viii)क में उपखंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु कोई कर्मकार, जो शांति और मित्रता की वर्ष 1950 की संधि के कारण नेपाली राष्ट्रिक है और कोई कर्मकार, जो शांति और मित्रता की वर्ष 2007 की संधि के कारण भूटानी राष्ट्रिक है, को भारतीय कर्मकार समझा जाएगा।"

[फा.सं. एस-35011/1/2011-एसएस-II]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि.748(अ), तारीख 16 नवंबर, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. सा. का.नि. 657(अ), तारीख 1 जुलाई, 2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2016

G.S.R.1036(E).— In exercise of the powers conferred by section 6A read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Pension Scheme, 1995, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Pension (Sixth Amendment) Scheme, 2016.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Pension Scheme, 1995, in paragraph 43A, in sub-paragraph (1), in clause (viiiia), after sub-clause (b), the following proviso shall be inserted, namely :-

“Provided that the worker who is a Nepalese national on account of Treaty of Peace and Friendship of 1950 and the worker who is a Bhutanese national on account of India-Bhutan Friendship Treaty of 2007, shall be deemed to be an Indian worker.”

[F. No. S-35011/1/2011-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

Note: The Employees' Pension Scheme, 1995 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 748(E), dated the 16th November, 1995 and was lastly amended vide notification number G.S.R. 657(E) dated the 1st July, 2016.